छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

–: अधिसूचना :–

रायपुर, दिनांक 24/05/2017

क्रमांक/4211/एफ–8/89/PMFBY/2016/14–2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2017 Credit II नई दिल्ली, दिनॉक 23.02.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा खरीफ मौसम 2017 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में **''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है:–

1. अधिसूचित फसले एवं बीमा इकाई :–

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	धान सिंचित, धान असिंचित	ग्राम पंचायत
अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूँग, उड़द	ग्राम पंचायत

2. अधिसूचित क्षेत्र :–

प्रदेश के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में सम्मिलित अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट–1** में है।

3. शामिल किये जाने वाले कृषक :–

इस योजना में ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) एवं अऋणी कृषक (भू–धारक एवं बटाईदार) भाग ले सकते है।

(क) अनिवार्य आधार पर :– ऐसे सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हो और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु 01.04.2017 से 31.07.2017 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग–अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर :– अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, वे अनिवार्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।

4. योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–

खरीफ 2016 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरों पर ही खरीफ वर्ष 2017 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा कार्य का संपादन किया जाएगा।

क्लस्टवार बीमा कंपनियों को आबंटित जिलो की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	क्लस्टर क्र.	जिला	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
1	2	3	4
1	1	नारायणपुर, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, दुर्ग	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2	2	सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरबा	रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3	3	कोंडागांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4	4	बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, जशपुर, रायपुर, बस्तर	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
5	5	जांजगीर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

5. जोखिमों की आच्छादन एवं अपर्वजन :–

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये निर्गत मार्गदर्शिका मे वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगाः–

(क) बाधित बुआई/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा।

(ग) फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान : यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा गया है।

(घ) स्थानीयकृत आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) सामान्य अपवर्जन : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

6. बीमित राशि :–

ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋण मान (Scale of Finance) के बराबर (संलग्न परिशिष्ट–2) मान्य होगी।

ऋण प्रदाय करने वाली वित्तीय संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

7. प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–

कृषकों द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो। शेष प्रीमियम राशि 50–50 प्रतिशत के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगा।

क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट–2 पर है। ऐसे जिले जिनमें अधिसूचित फसलों पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत से कम है, का जिलेवार/फसलवार विवरण **परिशिष्ट–3** पर है।

8. क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :–

योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों का क्षति स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

क्र.	फसल	क्षति स्तर
1	धान सिंचित	90%
2	धान असिंचित, सोयाबीन	80%
3	मक्का, मूंगफल्ली, तुअर, मूंग एवं उड़द	70%

जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थ्रेस होल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट–4 पर है। थ्रेसहोल्ड उपज का निर्धारण ग्रामपंचायवार निर्धारित किया गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त ग्राम पंचायत के निकटतम ग्राम पंचायत के उपज के आंकड़े उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम ग्राम पंचायत के उपज आंकड़ा उपलब्ध न हो तो उपरी इकाई के उपज आंकड़ा मान्य होगा।

9. विभिन्न गतिविधियों हेतु समय–सीमा का निर्धारण :–

क्र.	गतिविधि	समय–सीमा
1	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्ठि क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा समन्वय से पूर्ण किया जायेगा।	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर
2	ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीकृत ऋण)	1 अप्रैल से 31 जुलाई
3	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/ खाते से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि	31 जुलाई
4	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों/प्रीमियम राशि (अनिवार्यता इलेक्ट्रानिक माध्यम से) राशि बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषको के लिए 15 दिन के भीतर और अऋणी कृषको के लिए 7 दिन के भीतर
5	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
6	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) द्वारा ऋणी एवं अऋणी कृषकों के प्रस्तावों को बीमा कंपनी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि	संबंधित नोडल बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त होने से 7 दिवस के भीतर
7	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर (15 अगस्त तक)
8	अग्रिम राज्यांश राशि के भुगतान हेतु चयनित बीमा कंपनियों द्वारा शासन को बीमा आवरण के आंकड़े प्रदाय करने अंतिम तिथि	फसल बीमा करने की अंतिम तिथि से 1 माह के भीतर (31 अगस्त तक)

क्र.	गतिविधि	समय–सीमा
9	बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण के अंतिम आंकड़े (जिलावार वर्गवार एवं फसलवार) प्रदाय करने की अंतिम तिथि	फसल कटाई प्रारंभ होने के पूर्व अर्थात 1 अक्टूबर तक अंतिम आंकड़े शासन को उपलब्ध कराया जावेगा।
10	भू–अभिलेख द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु रेण्डर नंबर के आधार पर चयनित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	सितंबर के प्रथम सप्ताह के भीतर
11	फसल कटाई के बाद बीमा कंपनी को उत्पादन आंकड़े प्रदाय करने की अंतिम तिथि	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से एक माह के भीतर
12	आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाईवार क्षेत्राच्छादन की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर
13	उपज आकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन, अनुमोदन एवं भुगतान करने की तिथि	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर

टीपः–उपरोक्त समय–सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं (पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक एवं बैंक शाखाओं) द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भूगतान की जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं (पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक एवं बैंक शाखाओं) की होगी।

10. वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु/सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। साथ ही राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण एवं वित्तीय संस्थाएं सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.agri-insurance.gov.in में निर्धारित समय–सीमा पर इन्द्राज करेगी।

11. बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :–

सभी संबंधित सहकारी बैकों/वाणिज्यिक बैकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार किया जाएगा, जिसकी एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे।

12. दावा गणना :–

अंतिम भुगतान हेतु दावा गणना आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ो से की जायेगी। शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा आनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं हैं। बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे। राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय–सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके, तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे।

13. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :–

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(क) बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने स्थिति में :– यह आवरण केवल मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित के लिए ही लागू होगा। फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित की 75 प्रतिशत से अधिक बुवाई/रोपा नहीं हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को दावा भुगतान किया जा सकेगा। इस घटक के अंतर्गत बोता धान में बोनी की अंतिम समय–सीमा 10 अगस्त तथा धान की रोपाई हेतु अंतिम समय–सीमा 15 अगस्त होगी।

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी ग्राम पंचायत में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू–अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा। राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25 प्रतिशत तक दावा भुगतान किया जावेगा। इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात संबंधित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए योग्य नहीं होंगे, और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसल के लिए कोई नया पंजीयन किया जायेगा।

(ख) मौसमी प्रतिकुलताओं के कारण अधिसूचित फसलों की बुआई से कटाई की समयावधि में नुकसान होने की स्थिति में :– फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेस होल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक दावा का भुगतान खरीफ 2017 मौसम के दौरान ही किया जा सकता है। यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति परिशिष्ट–5 में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रयोग के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन दिया जायेगा। जिसके आधार पर कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी।

(ग) स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :– स्थानीय जोखिमों यथा–आलोवृष्टि, भू–स्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा इकाई क्षेत्र में हानी होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में

सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान की जाएगी। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से कम इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो उस सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जांच की जाएगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को लिखित में या टोल–फ्री नंबर पर अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप में निर्धारित समय–सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुपात में होगी। यदि पर अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोगों के आधार अंतिम दावा भुगतान दिये गये स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी बीमा दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।

(घ) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :– फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से 25 प्रतिशत से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सैम्पल जांचकर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के सभी पात्र बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा। यदि 25 प्रतिशत से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी, जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप से निर्धारित समय–सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (संलग्न **परिशिष्ट–5**) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा।

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कृषक फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे। सांकेतिक सूचनाओं, स्थानीय मिडिया रिर्पोटों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा।

(ड.) फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में :– राज्य शासन फसल उत्पादन के आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम पंचायत में प्रमुख फसल धान सिंचित एवं असिंचित के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसल में 08 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करेगी तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार शत् प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित किये जायेंगे। इस तरह फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी।

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे। यथासंभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा।

14. योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति :–

योजनानुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु राज्य शासन द्वारा खरीफ 2016 में योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति खरीफ 2017 के लिए भी अधिकृत होगी।

15. मौसम केन्द्रों की जानकारी :–

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेगें।

16. बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्पः–

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम का बदलाव ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि (31.07.2017) के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01.07.2017 तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा। यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा जिन्होने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते है तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को बीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि (31.07.2017) के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01.07.2017 तक लिखित में सूचित करना होगा ताकि उनके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके। यदि गैर अधिसूचित फसलों को अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते है तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र बैंको को आवश्यक संशोधन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समय–सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।

17. **बीमा कंपनी तथा वित्तीय संस्था द्वारा देय दावा भुगतान कृषकों के खाते में समायोजित करने की समय–सीमा** :–

(क) **बुआई नहीं हो पाने/विफल होने की स्थिति में** :– केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के बैंक खाते में समायोजित की जावेगी।

(ख) **फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में** :– केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी।

(ग) **स्थानीय आपदाओं के मामले में** :– संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जाएगी (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में** :– संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)।

(ङ) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति** :– भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात उपज आंकड़े प्राप्त होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान की राशि वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी। वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी।

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति** :– योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक–13 एवं 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी।

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क :–**

क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर पर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत खरीफ मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा।

20. बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा पत्र की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। बैंकों द्वारा किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति से बीमा कंपनी को तत्काल अवगत कराया जाएगा। बैंक स्तर से निर्धारित बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक कृषक के खाते से प्रीमियम कटौती कर ली गई है किन्तु बीमा कंपनी को प्रेषित घोषणा पत्र या प्रपत्रों में त्रुटि के कारण बैंकों से स्पष्ट जानकारी अप्राप्त है, ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं से कृषकों के घोषणा पत्र बीमा कंपनी द्वारा अधिकतम 25 अगस्त तक स्वीकार किये जायेंगे।

21. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्थाएं एवं संचालनालय कृषि का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।

22. योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस योजना के संचालन की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।

23. क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा राज्यांश राशि की मांग का पूर्ण परीक्षण किया जावेगा एवं राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।

24. अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनान्तर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू–अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्–प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी।

25. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करते हुए De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्रावधानों में संशोधन किये जाते है तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित दायित्व एवं अधिसूचना को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

26. **यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) :–** यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार पायलट आधार पर राजनांदगांव एवं बस्तर जिले का चयन किया गया है। इन जिलों में योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

UPIS अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है। शेष प्रयोजनों में से 2 प्रयोजन का चयन न करने पर कृषक को घोषणा–पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है। योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा।

UPIS अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	प्रयोजन	बीमित राशि (रू.)	प्रीमियम राशि
1	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रू. 40/– **(सेवाकर अतिरिक्त)**
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रू. 20/– **(सेवा कर अतिरिक्त)**
2	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रू. 12/– प्रति व्यक्ति
3	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक)	25,000	रू. 438/– **(सेवाकर अतिरिक्त)**
4	कृषि ट्रैक्टर बीमा	ट्रेक्टर के बीमित एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।	
5	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	रू. 75/– प्रति विद्यार्थी **(सेवाकर अतिरिक्त)**
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	
	(स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	
	(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
6	जीवन बीमा	2,00,000	रू. 330/– प्रति व्यक्ति

27. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/ यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेस स्कीम (UPIS) की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों के अनुरुप सभी के लिए बंधनकारी होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं इसमें उल्लेखित सर्वोच्च संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. 4212 / एफ–8 / 68 / PMFBY / 2017 / 14–2 रायपुर दिनांक 24/ 05 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग. शासन, वित्त / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / सहकारिता / कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक कृषि / संस्थागत वित्त / भू–अभिलेख / उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी / आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग / जनसंपर्क विभाग, छ.ग. रायपुर।
9. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
10. कलेक्टर, जिला– .... (समस्त), छत्तीसगढ़।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक, रायपुर।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
13. महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।
14. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
15. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
16. निदेशक, विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
17. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, छ.ग., रायपुर।
18. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग– .... (समस्त), छत्तीसगढ़।
19. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
20. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
21. उप संचालक कृषि, जिला–.. (समस्त), छत्तीसगढ़।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
23. राज्य प्रमुख, ईफको टोक्यो जनरल इंश्यो. कं. लि., रायपुर।
24. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कं. लि., रायपुर।

24/5/17

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

D:\Sandeep Bhoi File\PMFBY\Notification\Notification.rtf